सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांकः 329/सो.आ.नि.–318/2014

दिनाँकः 09 सितम्बर, 2014

समयबद्ध/प्राथमिकता

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः भारत सरकार द्वारा वांछित सूचनाओं एवं विवरणों को भारत सरकार तथा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना।

महोदय,

सोशल आडिट की प्रक्रिया को समुचित रूप से संपन्न कराने हेतु यह आवश्यक है कि DSAC द्वारा अपने जनपद से संबंधित निम्नांकित सूचनाएँ भारत सरकार/निदेशालय की वेबसाइट पर समय से तथा भली प्रकार अपलोड की जाएँः–

क– निदेशालय द्वारा जारी सोशल आडिट कैलेण्डर को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना, यदि कैलेण्डर में स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी की अनुमति से कोई संशोधन किया गया हो तो उसे भी इंगित किया जाना।

ख– जिन ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट संपन्न हो गया हो उनके सोशल आडिट प्रतिवेदनों को निर्धारित प्रारूप पर बिन्दुवार सोशल आडिट संपन्न होने के 5 दिन के अन्दर भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना।

ग– भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रतिवेदनों पर यदि एक्सन टेकेन रिपोर्ट (ATR) प्राप्त हो गई हो तो उसे अपलोड करना।

घ– निदेशालय की वेबसाइट पर जनपदीय स्टेकहोल्डर्स यथा– जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, DSAC तथा BSAC से संबंधी सूचना को अद्यतन करना।

Arun DT

उक्त सूचना, प्रतिवेदनों तथा एक्सन टेकेन रिपोर्ट (ATR) के अपलोड करने की स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया है कि कतिपय DSACs द्वारा शिथिलता बरती जा रही है। यह भी हो सकता है कि BSACs द्वारा अपलोड करने के लिए प्रतिवेदनों को समय से DSAC को न उपलब्ध कराया जा रहा हो। ऐसी स्थिति BSAC के स्तर पर भी कर्तव्यपालन में उदासीनता है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर वस्तुस्थिति की समीक्षा करके सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि उपर्युक्त सूचना/प्रतिवेदनों/एक्सन टेकेन रिपोर्ट्स (ATR) को यथास्थिति, निर्दिष्ट समय से भारत सरकार/निदेशालय की वेबसाइट पर DSAC द्वारा अपलोड कर दिए जाएँ तथा इस कार्य में BSACs द्वारा वांछित सहयोग प्रदान किया जाए।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांकः–329/सो0आ0नि0–318/2014, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(शंकर सिंह)
निदेशक।

Arun DT